

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138 ]	दिल्ली, सोमवार, अगस्त 30, 2010/भाद्र 8, 1932	[ रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 131
No. 138 ]	DELHI, MONDAY, AUGUST 30, 2010/BHADRA 8, 1932	[N.C.T.D.No. 131

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सामान्य प्रशासन विभाग

(समन्वय शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 30 अगस्त, 2010

सं. फा. 29/2/2008/सा.प्र.वि./समन्व./3781.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल समस्त सरकारी कार्यालयों तथा स्थानीय/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक केन्द्र के उपक्रमों में दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 बृहस्पतिवार को अपराह्न 2.00 बजे के पश्चात् 'फूलवालों की सैर' के उपलक्ष्य में आधे दिन का अवकाश घोषित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
अमिताभ कुंडू, उप सचिव

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Co-Ordination Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 30th August, 2010

No. F. 29/2/2008/GAD/CN/3781.—The Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to declare  
3426 DG/2010

Thursday, the 28th October, 2010 as a half day Holiday after 2.00 p.m. in all Government Offices and Local/Autonomous Bodies, Public Sector Undertakings under the Government of National Capital Territory of Delhi, on account of 'PHOOL WAALON-KI-SAIR'.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,  
AMITABH KUNDOO, Dy. Secy.

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 अगस्त, 2010

सं. फा. 3(7)/डीयूएसआईबी/2010/13736-13749.—दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 (2010 का दिल्ली अधिनियम 07) की धारा 31 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार स्लम एवं झुग्गी-झोपड़ी विभाग, दिल्ली नगर निगम के कब्जे में समस्त परिसंपत्तियां तथा देयताएं चल एवं अचल दोनों "जहाँ है जैसी है" दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा तत्काल प्राप्त किए जाने का अनुमोदन प्रदान करती है।

अचल परिसंपत्तियों का निपटान संबंधित भूमि का स्वामित्व रखने वाली एजेंसियों के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड द्वारा किया जाएगा

(1)



जिन्होंने अचल संपत्ति का अधिकार केन्द्र सरकार/दिल्ली सरकार या उनके अभिकरणों/संगठनों, जैसी भी स्थिति हो, में निहित किया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
बी. वी. सेल्वराज, प्रधान सचिव

**DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 30th August, 2010

No. F. 3(7)/UD/DUSIB/2010/13736-13749.—In exercise of the powers conferred under Section 31 of the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 (Delhi

Act 07 of 2010) the Government of the National Capital Territory of Delhi grants approval to take over all the assets and liabilities, both, movable and immovable in possession of Slum and JJ Department of the Municipal Corporation of Delhi on 'as is where is' basis by the Delhi Urban Shelter Improvement Board with immediate effect.

The disposal of the immovable assets will be made by the Board with the prior approval of the concerned land owning agencies with which the title of immovable assets vests in Central Government/Delhi Government or their agencies/organizations, as the case may be.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of  
the National Capital Territory of Delhi,

B. V. SELVARAJ, Principal Secy.